न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 357/2015

1. दुर्गासहाय मीणा पुत्र स्व. श्री शंकरलाल मीणा, उम्र 52 वर्ष, निवासी प्लाट नंबर–37, रमन विहार बी, मीणो की ढाणी, माचडा, जयपुर

2. रामचन्द मीणा, उम्र 50 वर्ष
3. गोपीराम मीणा, उम्र 48 वर्ष
4. श्रवण कुमार मीणा, उम्र 45 वर्ष
5. शिशपाल मीणा, उम्र 42 वर्ष
6. पप्पू मीणा, उम्र 39 वर्ष
7. कमलेश मीणा, उम्र 36 वर्ष

पुत्रान स्व. श्री शंकरलाल मीणा, जातियान मीणा, निवासी ग्राम नाकावाला, तन सिरोही, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 ता0 7–

बनाम

1. साधूराम मीणा पुत्र श्री महादेव मीणा, जाति मीणा, उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम नाकावाल, तन सिरोही, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थी सं0 1/वादी–

2. आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

–प्रत्यर्थी सं0 2/प्रतिवादी सं0 8–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री जगदीश प्रसाद अपीलार्थी की ओर से।
2– श्री बी.एम. गुर्जर रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से।
3– श्री नरेन्द्र कुमार पारीक रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 04–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 न्यायालय सहायक जिलाधीश फास्ट ट्रेक आमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 236/13 बउनवानी साधुराम बनाम दुर्गासहाय वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंटस संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नाकावाला ग्राम पंचायत सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 3 रकबा 0.32 हैक्टै0, खसरा नम्बर 4 रकबा 1.38 हैक्टै0, खसरा नम्बर 12 रकबा 1.82 हैक्टै., खसरा नम्बर 13 रकबा 0.02 हैक्टै0, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.05 हैक्टै0, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.06 हैक्टै0, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.04 हैक्टै0, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.20 हैक्टै0, खसरा नम्बर 39/219 रकबा 0.14 हैक्टै0, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.17 हैक्टै0, खसरा नम्बर 73 रकबा 1.09 हैक्टै0, खसरा नम्बर 74 रकबा 2.40 हैक्टै0, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.12 हैक्टै0, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.83 हैक्टै0 कुल खसरा नम्बर 14 रकबा 8.69 हैक्टै0 भूमि किस्म गैर मुमकिन नला व पहाड है जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि में से खसरा नम्बर 73 रकबा 1.09 हैक्टै0 भूमि में एक प्राचीन तलाब (तलाई) बनी हुई है,

जिसमे वर्षा का पानी एकत्रित होता है जो समस्त ग्रामवासियों के मवेशियों व जानवरों के पीने के काम आता है, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इसलिए प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण उक्त ग्राम नाकावाला, तन सिरोही, तहसील आमेर, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 73 में स्थित प्राचीन तलाई के स्वरूप में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं करे ना ही नाजायज रूप से तलाई पर कब्जा करें, ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट व कारकून आदि से करवाये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादपत्र को सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र राजस्व प्रकृति का नहीं है, क्यांकि वादपत्र मे विवादित आराजी ना तो खेती काश्त की है, ना ही चारागाह है, ना ही सिवायचक भूमि है तथा खसरा नम्बर 73 की प्रकृति गैर मुमकिन पहाड की है, जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के बाडे के रूप में काम में आ रही है।जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के मवेशी बंधते है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के वाहन खडे रहते है दो बोरिंग है जो पुराने है। तहसीलदार आमेर व वन विभाग प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिनके अभाव में वाद खारिज लायक है। खसरा नम्बर 73 में कोई प्राचीन तलाई नहीं है, ना ही कभी रही है, ना ही वर्तमान में है। वादी द्वारा बदनियतिपूर्वक गलत दावा पेश किया है। इस कारण वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 05.06.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित करते हुए उभय पक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया तथा खसरा नम्बर 73 रकबा 1.09 हैक्टै0 जिसमें कि सम्पूर्ण गांव बस हुआ है। के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित करते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिये व अतिक्रमण ना हो के लिए सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करते हुए निर्णय सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.06.2015 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.06.2015 पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों तथा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलार्थीगण के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 12.01.2015 की पेशी तनकियात के लिए मुर्कर की गई थी, परन्तु प्रकरण में दिनांक 12.01.2015, 06.02.2015, 27.02.2015, 20.03.2015, 30.03.2015, 09.04.2015, 29.04.2015, 11.05.2015, 25.05.2015 की पेशियों पर भी तनकियात कायम नहीं किये गये, उपरोक्त मामला अपीलार्थीगण द्वारा कन्टेस्ट किया जा रहा था परन्तु राजस्व लोक अदालत का आयोजन होने के कारण प्रकरण को कैम्प कोर्ट के समक्ष भेजा गया, जहां अपीलार्थीगण को प्रकरण में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बगैर आक्षेपित निर्णय पारित कर दिये गये। भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 1.09 हैक्टै0 की किस्म राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन पहाड दर्ज है तात्पर्य यह है कि उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 73 की प्रकृति कृषि भूमि की नहीं थी, ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को मामले का श्रवणधिकार नहीं था परन्तु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से निर्णय दिनांक 05.06.2015 पारित कर दिया। भूमि खसरा नम्बर 73 के सन्दर्भ में प्रत्यर्थी संख्या 1 की हैसियत अजनबी व्यक्ति की थी जो ना तो उक्त भूमि का खातेदार था, ना ही उक्त भूमि से उसका कोई संबंध व सरोकार था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का वादपत्र खातेदार को प्रस्तुत करने का अधिकार है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ना तो उक्त भूमि का खातेदार था, ना ही उसमें किसी प्रकार का हित रखता था। भूमि खसरा नम्बर 73 यद्यपि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, परन्तु भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर अपने मकानात बनाकर कदिमीकाल से निवास करते चले आ रहे हैं, जिसमें विद्युत संबंध बोरिंग व पानी की टंकी बनी हुई है तथा अपीलार्थीगण द्वारा सींचे गये वृक्ष जो कदिमी काल से खडे है तथा जहां खसरा नम्बर 73 की प्रकृति तलाई की नहीं थी, ना ही उक्त खसरा नम्बर राजस्व अभिलेख में तलाई दर्ज है,

जिससे प्रथमदृष्टया प्रमाणित था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक बेक्शेशन वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण द्वारा तलाई के अस्तित्व को नकारा गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि खसरा नम्बर 73 गैर मुमकिन पहाड है तथा पहाड पर तलाई होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, ऐसी सूरत में जहां वादी को अपनपा वादपत्र साबित करने के लिए तलाई के अस्तित्व को अपनी साक्ष्य से स्पष्ट किया जाना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दीवानी प्रकिया संहिता के प्रावधानों का अनुसरण किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि चाहे गये अनुतोष के अतिरिक्त अन्य कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, वादी ने जहां यह कथन अंकित किया था कि प्राचीन तलाई के कारण स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे तथा ना ही इस पर कब्जा करें, उक्त आशय की निषेधाज्ञा की डिक्री वादी ने चाही थी, परन्तु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 में अधीनस्थ न्यायालय ने चाहे गये अनुतोष के अतिरिक्त अन्य आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 को अपास्त फरमाये जावें।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 73 को प्राचीन तलाई बताते हुए दावा पेश किया गया है। प्रकरण में वन विभाग आवश्यक पक्षकार था जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रकरण में अस्वीकृति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था जिस पर न ही कोई तनकी कायम की गई है, न ही साक्ष्य सबूत लिये गये है। डिक्री भी नहीं बनाई गई है। अपीलाधीन निर्णय में जेडीए को निर्देशित किया गया है जो कि आज्ञात्मक निषेधाज्ञा के दावे के बिना नहीं दिया जा सकता है। दस्तावेजात पर कोई प्रदर्श नहीं डाला गया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है इसलिए अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

6– अधिवक्तागण रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 2 द्वारा अपील बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के खाते की भूमि है तथा जिस पर अपीलान्टस का कोई हक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक राजकीय भूमि के संरक्षक हेतु उभय पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्टस का प्रकरण में कोई लोकस स्टेन्डाई नहीं है तथा अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजता का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी भूमि है इस हेतु वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं होने के कारण स्वयं के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि का संरक्षण करने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित कर वादी व प्रतिवादीगण दोनों को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है। प्रकरण में किसी प्रकार की तनकी अथवा साक्ष्य लिये जाने की कोई प्रांसगिकता नहीं थी क्योंकि वादग्रस्त भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी में होना स्वतः स्पष्ट है। उक्त आदेश से अपीलान्टस किसी भी रूप में व्यथित नहीं है तथा अपील प्रस्तुत करने का उनका लोकस स्टेन्डाई नहीं है। अपीलाधीन आदेश द्वारा मात्र सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से पाबन्द किया

गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अपील अपीलान्टस अस्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 04–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर